1

JOINT COMMITTEE REPORT

IN

Original Application No.74/2020 (CZ)

MOHD. JAVED

VS

STATE OF M.P. & ORS.

Committee members :-

(i) SDM, Sagar

(ii) Mining Officer, Sagar

(iii) Regional Officer, M.P. Pollution Control Board

Date of Inspection :- 22.10.2020

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल
ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 74/2020

वादी – मोहम्मद जावेद
विरूद्व
प्रतिवादी – म.प्र.शासन एवं अन्य

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्र. क. 74/2020 में दि. 04.09.2020 को पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में क्षेत्र का निरीक्षण कर तथ्यों एवं कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार संयुक्त दल को निर्देशित किया गया है :–

1. जिला मजिस्ट्रेट, जिला–सागर।
2. जिला खनिज अधिकारी, सागर।
3. म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

उक्त आदेश के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सागर द्वारा पत्र क 558/खनिज/2020, सागर दि. 01.10.2020 द्वारा ग्राम उजनेठी, चकगोराकटया, डिलोना में चल रहे अवैद्य उत्खनन के संबंध में स्थलों की जॉच करने हेतु निम्नानुसार संयुक्त जॉच दल का गठन किया गया :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा, सागर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर।
3. खनिज अधिकारी, सागर।

उक्त आदेश के पालनार्थ दिनांक 22.10.2020 को प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा सागर, मुख्य रसायनज्ञ म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, तहसीलदार शाहगढ़ जिला–सागर, खनिज निरीक्षक सागर, राजस्व निरीक्षक बण्डा एवं ग्राम पटवारी द्वारा ग्राम उजनेठी, गोराकटया, चकगोराकटया एवं डिलौना का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

ग्राम उजनेठी तहसील शाहगढ जिला सागर की निजी भूमि ख.नं. 780, 766/1, 765/1, 775/2, रकबा 1.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज फर्शी पत्थर हेतु उत्खनन पट्टा दिनांक 22.06.2017 से 21.06.2027 तक 10 वर्ष हेतु श्रीमती सारिका जैन पत्नी अमित कुमार

जैन को स्वीकृत किया गया, जिस पर पर्यावरण अनापत्ति (Env. Clearance- DEIAA) सागर द्वारा दि. 19.12.2017 को 600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रदान की गई एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दि. 04.05.2023 तक की अवधि हेतु जल/वायु सम्मति भी प्रदान की गई है।

उपरोक्त ग्राम में निजी भूमि ख. नं. 781, 758, 792 रकबा 4.93 हेक्टेयर पर भी खनिज फर्शी पत्थर खनन हेतु उत्खनन पट्टा दि. 20.06.2017 से 19.06.2027 तक 10 वर्ष हेतु अमित कुमार जैन को स्वीकृत किया गया। जिस पर पर्यावरण अनापत्ति (Environmental Clearance- DEIAA) सागर द्वारा दि. 19.12.2017 को 10000 घनमीटर खनन हेतु अनापत्ति प्रदान की गई एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दि. 16.12.2021 तक की अवधि हेतु जल/वायु सम्मति भी जारी की गई है। खसरा नं. 759/1, अमित जैन से नाम पड़ती भूमि है, जिसमें कोई उत्खनन नहीं पाया गया।

निरीक्षण के दौरान खदानों में डिस्प्ले बोर्ड तथा तारों की फेंसिंग पाई गई। खदानों में पानी भरा होने के कारण उत्खनन कार्य बंद पाया गया। 100 मीटर की परिधि में कोई नाला आदि नहीं पाया गया तथा भूमि पर सघन वृक्षारोपण भी पाया गया है। अवैद्य खनन जैसी स्थिति नहीं पाई गई है।

उपरोक्त दिनांक 22.10.2020 को ग्राम–गोराकटया में स्थित भूमि ख.नं. 138/1, 138/2, के निरीक्षण के दौरान उक्त भूमि पर कोई उत्खनन नहीं पाया गया। उक्त भूमि श्री अमित जैन के नाम से है, कृषि भूमि है उक्त भूमि पर कोई उत्खनि पट्टा स्वीकृति नहीं है।

ग्राम चकगोराकटया एवं ग्राम गोराकटया के ख.नं. 126, 129, 130, 87/3, 87/6 पर खनिज फर्शी पत्थर (Flagstone) खनन हेतु श्रीमती सारिका जैन के नाम से उत्खनि पट्टा दि. 30.05.2008 से 29.05.2018 तक स्वीकृत रहा। खदान की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा खदान शिथिल है। ख. क. 82/2 में कोई उत्खनन नहीं पाया गया।

उक्त खदानों की 100 मीटर की परिधि में भी कोई नाला नहीं है, खदानों की पिट में फेंसिंग की गई है, कोई भी पेड़ कटा हुआ नहीं पाया गया।

ग्राम चकगोराकटया के ख.कं. 127, 128 में रकबा 0.60 हेक्टेयर पर कार्यालय अभिलेख अनुसार खनिज फर्शी पत्थर हेतु श्री आशीष अग्निहोत्री बण्डा जिला सागर को दिनांक 10.05.2006 से 09.05.2016 तक उत्खनि पट्टा स्वीकृत रहा है, जो वर्तमान में बंद है/शिथिल है। इसी प्रकार अन्य खदान ख. क. 137/1 में रकबा 7.00 हेक्टेयर पर खनिज फर्शी पत्थर हेतु मे. एस.टी. मिनरल्स प्रो. श्री मन्नू आदिवासी निवासी– ग्राम – सेमरामाधो तहसील–रहली

जिला सागर को दिनांक 11.06.2004 से 10.06.2014 तक उत्खनि पट्टा स्वीकृत रहा है। एवं उक्त ग्राम के ख.क्र. 137/7 मे रकवा 1.94 हेक्टेयर पर खनिज फर्शी पत्थर हेतु श्री त्रिलोकीनाथ कटारे निवासी– बडा बाजार तहसील व जिला सागर को दिनांक 19.08.2003 से 18.08.2013 तक उत्खनि पट्टा स्वीकृत रहा है।

ग्राम डिलौना तहसील शाहगढ जिला सागर में कोई भी खदान स्वीकृत नहीं है एवं न ही कोई उत्खनन किया जा रहा है।

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स उक्त खदानों की स्थिति से पूर्णतः भिन्न है। तथा आवेदन के पेज नं. 29 एवं 30 पर लगाये गये 02 फोटोग्राफ्स एक अन्य एन. जी.टी.प्रकरण क्र. 66/2020 में अतुल अग्रवाल विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के पृष्ठ क्र. 39 एवं 42 से प्राप्त किए गए प्रतीत होते है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

मुख्य रसायनज्ञ म.प्र.प्रनिबो, सागर	क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रनिबो, सागर	प्रभारी अधिकारी खनि शाखा, सागर	अनुविभागीय अधि. (राजस्व) बण्डा, सागर

Annexure - 1 -> Panchnama
Annexure - 2 -> Photographs

Annexure - 1

पंचनामा

आज दिनांक 22/10/2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ता व पंचगण
श्रीमान् राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र
क्रमांक OA 74/2020 के तारतम्य में प्रदान किए गए
निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय सागर के पत्र क्रमांक 558/
खनिज सागर दिनांक 01/10/2020 द्वारा गठित दल द्वारा
ग्राम उजनेठी, प०ह०क्र० 41, रा०नि०मं० व तहसील शाहगढ़ के
ख०क्र० 759/1, 758, 765/1, (766) 766/1, 775, 780
का स्थल पर निरीक्षण किया गया। मौके पर स्वीकृत
क्षेत्र के अंतर्गत उत्खनन है। वर्तमान में खदानों में
पानी भरा हुआ है, उक्त स्वीकृत क्षेत्र तारबाड़ी द्वारा
(फेंसिंग) से घिरा हुआ है। उक्त भूमि के 300 मीटर
परिधि में कोई नाला नहीं है। ख०क्र० 759/1 के दक्षिण
में आम रास्ता पगडंडी है। मौके पर निरीक्षण के
दौरान किसी भी हरित पेड़ को नहीं काटा हुआ
पाया गया। स्वीकृत क्षेत्र अंतर्गत निर्देशित बोर्ड पिलर
हुए स्थापित किए गए हैं। उक्त भूमि में ख०क्र०
759/1 स्वीकृत क्षेत्र से बाहर है, इस पर मौके पर
पूर्व से खुदा हुआ एक गड्ढा पाया गया जिसमें पानी
भरा है। स्वीकृत क्षेत्र में पट्टेदार द्वारा वृक्षारोपण
किया गया पाया। OA 74 में प्रस्तुत पेज क्र. 22,
23, 24 में दर्शित चित्र का मौके से मिलान नहीं
होना पाया गया।
पंचनामा मौके पर तस्दीक किया गया।

22/10/2020

22/10/20

22/10/2020
तहसीलदार
शाहगढ़ जिला सागर (म.प्र.)

22/10/2020
सहा० खनि० अधि०

पंचनामा

आज दिनांक 22/10/2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ता व पंचगण राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्र. OA 74/2020 के तारतम्य में प्रदान किए गए निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय सागर के पत्र क्र. 559/खनिज सागर दिनांक 01/10/2020 द्वारा गठित दल द्वारा ग्राम डिलौना का निरीक्षण किया गया, संकलित क्षेत्र अंतर्गत किन्हीं भी खसरा नंबरों पर फर्शी पत्थर का वर्तमान में उत्खनन होना नहीं पाया गया।

अतः पंचनामा मौके पर तस्दीक किया।

[signature] 22 तहसीलदार
[signature] 22/10/20 P1
[signature] M.O. 22/10 जिला : सागर (म.प्र.)
[signature] 22/10/2020 M1
[signature] 22/10/20
[signature] 22/10/2020 स्टे.प्रभारी
[signature]

पंचनामा

आज दिनांक 22/10/2020 को निम्नहस्ताक्षरकर्ताओं व पंचगणों द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के पत्र क्र OA-74/2020 के तारतम्य में प्रदान किए गए निर्देश अनुसार कलेक्टर महोदय सागर के पत्र क्र 558/खनिज/सागर दिनांक 01/10/2020 द्वारा गठित दल द्वारा ग्राम चकगोराकटया के ख.न. 126, 127, 129, 130, 137, 138/1, 138/2, 82/2, 87/3, 87/6 का स्थल पर निरीक्षण किया गया। मौके पर 82/2, 87/3, 87/6 ग्राम गोराकटया के अंतर्गत हैं तथा निरीक्षण के दौरान उक्त गोराकटया ग्राम के ख.क्र. 82/2, 87/3, 87/6 पर कोई उत्खनन नहीं पाया गया तथा ग्राम चकगोराकटया के अंतर्गत स्थित भूमि ख.क्र. 126, 127, 129, 130, 137 में पूर्व में किया गया उत्खनन पाया गया। विगत 2 वर्षों से लीज अवधि समाप्त होने के कारण उत्खनन कार्य बंद है एवं ख.क्र. 138/1, 138/2 पड़त भूमि है। मौके पर कंटीले तार द्वारा उक्त चकगोराकटया स्थित भूमि फैंसिंग में घिरी हुई पायी गई। मौके पर उक्त भूमि से संलग्न कोई नाला नहीं पाया गया तथा प्रस्तुत छायाचित्रों से मौके का मिलान नहीं पाया गया।

पंचनामा मौके पर तस्दीक किया गया।

22/10/20 RI

22/10/20

22/10/2020

22/10/2020 MI

तहसीलदार शाहगढ़ जिला सागर (म.प्र.) 22/10/2020

22/10/2020 पटवारी/...

Annexure-2

(8)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क. 74/2020
(मोहम्मद जावेद विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य)

Inspection Team visited the Mine site at Vill- Ujnethi

Plantation at Mine site

Fencing

Sign Board at Mine site